

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-33/2017

ETWARI DAS & ANOTHER.....PLAINTIFFS

Vs.

BALDEV DAS & OTHERS.....DEFENDANTS

ORDER

01.04.22 पुकार पर वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक-05.04.19 पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-17 ~~अशर्मा~~ दास का देहांत दिनांक-16.01.2019 को हो चुका है, जिनकी लिखित सूचना प्रतिवादी द्वारा दी गई एवं जिनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी सं०-17 के स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है एवं समय-सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तदनुसार प्रतिवादी सं०-17 के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करे। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

दिनांक-22.04.2022 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षिताएं।

अवर न्यायाधीश

M 01/04/22